

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 54 /2025


दिनांक 05.02.2025

श्रीमती श्वेता ढाका (RJ00643), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), भरतपुर दिनांक 12.02.2025 से 25.02.2025 तक 14 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 26.02.2025 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती ढाका की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), भरतपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/11/2011/1088

दिनांक 05.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 353 दिनांक 22.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती श्वेता ढाका (RJ00643), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), भरतपुर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), भरतपुर।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर।


सहायक रजिस्ट्रार